तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30-7-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी की प्रार्थना पत्र O-9, R-9 CPC सपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र O-9, R-9 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि दिनांक 22-5-2017 को प्रार्थी/वादी ACJM कोर्ट अनूपगढ़ में फौजदारी प्रकरण में अनूपगढ़ कोर्ट में था, तथा प्रार्थी को केस पेडा के दिनांक 22-5-2017 की सुनवाई का नोटिस भी इस वजह से प्राप्त नहीं हो सका। तथा माननीय न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद नं. 24/2013 उनवान गुलाबसिंह v/s. हरिराम धारा 88, 188 RTA 1955 अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को केस की समाप्ति के बाद होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसको स्वीकार फरमाया जाकर अदम हाजरी में खारिज वाद नं. 24/2013 उनवान गुलाबसिंह v/s हरिराम को पुनः सुनवाई पर लिये जाने की दलील दी गई। उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों को सुना गया एवं आदेश-09, नियम-09 CPC में वर्णित प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। आदेश-9 नियम-09 CPC के प्रावधानों अनुसार —
	(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल | ... तारीख ... जो इस ... तामील ... जारी ... ये

(5) व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नये वाद का वर्जन करती है। (i) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी वाद हेतुक के लिये नया वाद लाने से प्रवारित हो जायेगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिये आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। इस प्रकार विधी के प्रावधानों अनुसार वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर वादी की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय खारिज को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण में से केवल अर्जुनसिंह को लोक अदालत का नोटिस तामील हुआ था, शेष वादीगण की तामील नही हुई है। चूंकि नियत पेशी दिनांक 22-5-2017 को वादी अर्जुनसिंह के फौजदारी प्रकरण में माननीय A.C.J.M.

[signature]

कोर्ट मार्डर अनु में शामिल है, जिसकी पुष्टि A.C.J.M. कोर्ट मार्डर अनु पर्चा के यहां विचाराधीन फौजदारी प्रकरण की आर्डरशीट दि. 22-5-2017 से स्पष्ट होती है। जिससे वकील प्रार्थी की यह दलील मानने योग्य है कि भाई अर्जुनसिंह दि. 22-5-2017 को अनुपस्थित न्यायालय में फौजदारी प्रकरण में उपस्थित होने से बेंड केम्प में उपस्थित नहीं हो पाया तथा दूसरे उपस्थित नहीं हो पाया तथा दूसरे भाईगण को नोटिस की सूचना नहीं होने से केम्प बेंड में उपस्थित नहीं हो सके। एवं माननीय न्यायालय द्वारा केम्प बेंड में न्यायालय द्वारा केम्प बेंड में दि. 22-5-2017 को भाई की अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी पर्याप्त एवं उचित कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। जिससे बाद अवलोकन पत्रावली आदेश-05 नियम 05 CPC के प्रावधानो अनुसार राजस्व वाद सं. 24/2013 उनवान गुलाबसिंह वगैरह बनाम हरिराम में दिनांक 22-5-2017 को केम्प बेंड में पारित खारिज के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अदम हाजरी में दिनांक 22-5-2017 को खारिज राजस्व वाद सं. 24/2013

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्र.प्र. केवल कुमार होकर पुनः सुनवाई पर लिये जाने हेतु वाद संख्या 24/2013 अंतर्गत गुलाबसिंह etc. v/s. हरिराम U/s 88, 188 RTA, 1955 के संलग्न हो।	
	[signature]	